भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2971

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

14 श्रावण, 1948 (शक)

ई-रिक्शा बैटरियों को लॉक किया जाना

2971. श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेलः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बैटरी प्रबंधन अनुप्रयोग (ऐप) (बीएटीटी-बीएमएस) के माध्यम से ई-रिक्शा की बैटरियों को लॉक किए जाने संबंधी गंभीर मामले सामने आए हैं;
(ख) यदि हाँ, तो उक्त चीनी ऐप को किस हद तक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है; और
(ग) क्या सरकार उक्त घटना को ध्यान में रखते हुए चीन से आयातित वस्तुओं की जांच को और अधिक सुदृद्ध बनाने हेतु कोई अतिरिक्त उपाय करने पर विचार कर रही है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** सरकार ने कुछ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) मोबाइल ऐप्स के गलत उपयोग की खबरों पर संज्ञान लिया है, जिनकी वजह से ई-रिक्शा की बैटरियों को बिना इजाज़त दूर से कंट्रोल किया जा सकता था। 3 जुलाई 2026 को, सरकार ने आईटी अधिनियम, 2000 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत ऐप स्टोर पर ऐसे एप्लिकेशन को हटाने के आदेश जारी किए।

इसके अलावा, सरकार ने डिजिटल इकोसिस्टम में साइबर सुरक्षा और डिजिटल लचीलेपन को सुदृढ़ करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी एकीकृत और समन्वित तंत्र को संस्थागत रूप दिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

i. विभिन्न एजेंसियों के बीच साइबर सुरक्षा से संबंधित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) के तहत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एनसीएससी) की स्थापना की गई है।

ii. भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 70ख के प्रावधानों के तहत साइबर सुरक्षा घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

iii. सर्ट-इन द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) साइबर सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए साइबर स्पेस की जांच करता है। यह कार्रवाई करने के लिए संबंधित संगठनों, राज्य सरकारों और हितधारक एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करता है।

iv. सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70क के उपबंधों के अंतर्गत देश में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र (एनसीआईआईपीसी) की स्थापना की है।

v. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रशासित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकियों, ई-कॉमर्स बाजारों आदि के युग में उपभोक्ता संरक्षण को नियंत्रित करने वाले तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था।

vi. सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधनों को सुदृढ़ करने और सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए एमईआईटीवाई द्वारा 'सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए)' परियोजना लागू की गई है। साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता सामग्री www.staysafeonline.in, www.infosecawareness.in और www.csk.gov.in जैसे पोर्टलों के माध्यम से प्रसारित की जाती है ।

vii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 के नियम 126 में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों सहित मोटर वाहन का प्रत्येक निर्माता या आयातक नियम 126 के तहत अधिसूचित परीक्षण एजेंसी को प्रोटोटाइप प्रस्तुत करेगा। परीक्षण एजेंसी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और सीएमवीआर, 1989 के प्रावधानों के अनुपालन को प्रमाणित करने वाला एक प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करती है।
